100

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 1693—एक / 16 विरूद्ध आदेश दिनांक 28—3—16 पारित द्वारा कलेक्टर, टीकमगढ़ प्रकरण कमांक 8 / स्व.निग. / 2015—16.

शेख सिरताज तनय शेख शकूर खां
निवासी ग्राम डुमरऊ मोटा तहसील
व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ----- आवेदकगण

विरुद्ध

म0प्र0 शासन ----- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव ।
अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री डी0 के0 शुक्ला ।

आदेश

(आज दिनांक 6-10-16 को पारित)

....

यह निगरानी कलेक्टर, टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक प्रकरण क्रमांक 8 / स्व.निग. / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 28—3—16 के विरूद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा दिनांक 26—12—13 को तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 115, 116 के तहत आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 30 / 24 रकबा 0.912 हैक्टर आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व की भूमिस्वामी खाते की भूमि है । वर्ष 2012—13 के खसरा कम्प्यूटर की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि भूमि शासकीय दर्ज है, कम्प्यूटर में गलत तरीके से कम्प्यूटर में फीडिंग की गई है । अतः पूर्व की भांति भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज किया जाये । आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भू—अधिकार पुस्तिका एवं खसरे की प्रति पेश की गई । उक्त आवेदन पर से तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन

कराया गया एवं हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया । इश्तहार पर कोई आपत्ति न आने, हल्का पटवारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत उन्होंने आदेश दिनांक 12–3–14 द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया ।

तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश के 1 वर्ष से अधिक समय उपरांत नवीन तहसीलदार द्वारा पूर्व तहसीलदार के द्वारा दिनांक 12–3–14 को पारित आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया । जिस पर से कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेते हुए आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार द्वारा दिनांक 12–3–14 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0 शासन के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किए जाने के आदेश दिये हैं । कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर द्वारा आलोच्य आदेश आवेदक को सूचना व सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत है ।

यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को नीलामी में कय किया गया था । उक्त भूमि आवेदक द्वारा विधिवत मुआवजा राशि रूपये 348.50 पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा टीकमगढ़ में दिनांक 24–4–71 को जमा करने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक अ/74/3 वर्ष 1971–72 के आधार नीलामी में दी गई थीं । उक्त मुआवजा राशि जमा करने के उपरांत निगराकार को विधिवत तरीके से स्थाई पट्टे पर दी गई थी जिसका इन्द्राज रजिस्टर्ड इत्तलायाबी (गार्ड बुक) में सरल कमांक 3 पर प्रश्नाधीन भूमि अंकित है उसी आधार पर भूमि पर आवेदक का नाम वर्ष 1970–71 में खसरे में किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि यदि आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर कलेक्टर द्वारा दिया जाता तो वे उक्त तथ्य कलेक्टर के समक्ष रखते परंतु कलेक्टर द्वारा उन्हें बिना सुने एवं पक्ष रखने का अवसर दिये बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा पांचसाला वर्ष 1971–72 से लेकर 1975–76 के खसरे का गलत इन्टरपिटेशन किया है क्योंकि खसरा नं. 30 / 1 कर रकबा खसरे के कॉलम नं. 2 में 9.10 एकड़ अंकित है जिसमें खसरे के कॉलम में 2.26 एकड़ भूमि मकुन्दा तनय जलमा चमार को तथा 4.27 एकड़ भूमि रमजान व शकूर तनय कम्मू मुसलमान को भूमिस्वामी के रूप में अंकित है । इस तरह उक्त दो खसरों का रकबा 6.53 एकड़ घटाने पर शेष रकबा 2.57 रहता है ,जो सही इन्द्राज है ।

यह तर्क दिया गया कि 50 वर्ष पूर्व लिखे गये दस्तावेजों को यह बताना कि राईटिंग में भिन्नता है तथा इसी समय लालस्याही से लिखा गया प्रतीत होता है अधीनस्थ न्यायालय की गलत सोच है । क्योंकि खसरे रिकार्ड रूम में रहते हैं तत्समय दो पटवारी स्थानांतरण के पश्चात आ सकते हैं जिनकी हैन्ड राइटिंग में भिन्नता आ जाती है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के स्वामित्व की भूमि पर शासन का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से कम्प्यूटर में फीड किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर अभिलेख दुरस्त करने का जो आदेश दिया है वह उचित है । तहसीलदार को संहिता की धारा 115, 116 सहपठित धारा 32 के तहत अधिकार प्रदान किये गये हैं ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा आवेदक को वर्ष 1971 में नीलामी में मुआवजा राशि देने के उपरांत स्थाई पट्टे पर दी गई भूमि को लगभग 44 वर्ष उपरांत तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 12–3–14 को पारित आदेश के लगभग 15 माह बाद प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेते हुए आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृंष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26, न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) एवं अन्य न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है । उक्त आधारों पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4 / अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5 / उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का

अवलोकन किया । कलेक्टर, टीकमगढ़ के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा दिनांक 30–6–15 को प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर अनावेदक (इस न्यायालय में आवेदक) को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं और प्रकरण में पेशी दिनांक 13–7–15 नियत की गई है । परंतु आवेदक को कोई नोटिस भेजा जाना कलेक्टर के अभिलेख से नहीं पाया जाता है । इसके उपरांत आदेश पत्रिका दिनांक 13–7–15 में पेशी पढ़ाई गई है और आगामी कोई पेशी नियत नहीं की गई है । इसके उपरांत प्रकरण दिनांक 5–1–16 को प्रसतुत होने का उल्लेख है और आवेदक अनुपस्थित लिखा गया है परंतु इस पेशी की सूचना भी आवेदक को दिया जाना अभिलेख से नहीं पाया जाता है । इस दिनांक को भी कोई आगामी पेशी नियत नहीं की गई है । इसके उपरांत पुनः प्रकरण दिनांक 15–2–16 को लिया गया है और इसमें भी आवेदक की अनुपस्थिति का उल्लेख है परंतु इस दिनांक की सूचना भी आवेदक को अभिलेख से दिया जाना नहीं पाया जाता है, इस आदेश पत्रिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है और ना ही कोई आगामी पेशी नियत है । इसके उपरांत प्रकरण दिनांक 23–3–16 को आदेश हेतु विचारार्थ रखा गया है परंतु इस आदेश पत्रिका पर भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है इसके उपरांत प्रकरण में दिनांक 28–3–16 को आलोच्य आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार कलेक्टर की कार्यवाही से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की है वह किसी भी स्थिति में न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं ठहराई जा सकती है । उनकी कार्यवाही से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त कार्यवाही एवं आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का कोई अवसर नहीं दिया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत है । न्यायदृष्टांत 2011 आर0एन0 273 में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध व्यक्ति को कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया गया – नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया । इस न्यायदृष्टांत में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 (1) परंतुक (तीन) स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण – हितबद्ध व्यक्ति को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना – आदेश पारित नहीं किया जा सकता । अतः इस प्रकरण में कलेक्टर का जो आलोच्य आदेश है वह इसी आधार पर निरस्ती योग्य है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक

को मुआवजा राशि रूपये 348.50 पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा टीकमगढ़ में दिनांक 24–4–71 को जमा करने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक अ / 74 / 3 वर्ष 1971–72 के आधार नीलामी में दी गई थी । उक्त मुआवजा राशि जमा करने के उपरांत निगराकार को विधिवत तरीके से स्थाई पट्टे पर दी गई थी जिसका इन्द्राज रजिस्टर्ड इत्तलायाबी (गार्ड बुक) में सरल क्रमांक 3 पर प्रश्नाधीन भूमि अंकित है उसी आधार पर भूमि पर आवेदक का नाम वर्ष 1970–71 में खसरे में किया गया है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा आवेदक के स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय मानना औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । चूंकि आवेदक की स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के कम्प्यूटर फीडिंग के दौरान शासन का नाम दर्ज किया गया है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार संहिता की धारा 115, 116 सहपठित धारा 32 के तहत अभिलेख दुरस्त करने के जो आदेश दिये हैं वह उचित एवं न्यायिक हैं । और उसमें ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं थी जिस कारण उनके आदेश को स्वमेव निगरानी में लिया जाये । वैसे भी स्वमेव निगरानी के अधिकारों प्रयोग युक्तियुक्त अवधि के भीतर ही किया जा सकता है और यह अवधि कुछ माह ही हो सकती है इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ का उद्धरित न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) अवलोकनीय है जिसमें राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । '' किंतु वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार के आदेश में ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण उनके आदेश को स्वमेव निगरानी में लिया जाये । अतः कलेक्टर द्वारा 15 माह उपरांत तहसीलदार के विधिसम्मत आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर अवैधानिक कार्यवाही की गई है, अतः उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 8 / स्व0निग0 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28–3–16 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–3–14 स्थित रखा जाता है । तहसीलदार, टीकमगढ़ को निर्देश दिए जाते हैं कि यदि आवेदक

का नाम ग्राम मौजा डुमरऊ मोटा स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 30 / 24 रकबा 0.912 हैक्टर पर से कलेक्टर के आदेश के पालन में राजस्व अभिलेखों से काटा गया हो तो उसे पुनः पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये और तदनुसार राजस्व अभिलेख दुरस्त किये जायें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर